भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2159
गुरूवार, 21 दिसंबर, 2023/30 अग्रहायण, 1945 (शक)

सीएमआईई द्वारा बेरोजगारी संबंधी आँकड़े

2159. श्री दिग्विजय सिंहः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) द्वारा अक्टूबर माह में जारी आंकड़ों से अवगत है, जिनमें बताया गया है कि भारत की बेरोजगारी दर दो वर्षों में सर्वाधिक है;

(ख) ग्रामीण बेरोजगारी दर 6.2% से बढ़कर 10.82% हो जाने पर, इस समस्या का समाधान करने के लिए कौन-कौन से लक्षित उपाय किए गए हैं;

(ग) ग्रामीण और महिला बेरोजगारी के संबंध में राज्य-वार ऑकड़ें क्या हैं; और

(घ) सरकार ग्रामीण बेरोजगारी में भारी वृद्धि के लिए पिछले पांच वर्षों में मानसून की सबसे कम बारिश को किस हद तक जिम्मेदार मान रही है, साथ ही, कृषि क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए कौन- से विशिष्ट कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): कई निजी कंपनियां/निकाय/अनुसंधान संगठन अपनी कार्यप्रणाली के आधार पर अलग-अलग सर्वेक्षण करते हैं, सीएमआईई उनमें से एक है। रोजगार और बेरोजगारी पर आधिकारिक डेटा, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से प्राप्त होता है। सर्वेक्षण अवधि जुलाई से अगले वर्ष जून तक होती है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2020-21 से वर्ष 2022-23 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) निम्नानुसार हैः

बेरोजगारी दर (यूआर) (में %)		
वर्ष	**ग्रामीण**	**अखिल भारत**
2020-21	3.3	4.2
2021-22	3.2	4.1
2022-23	2.4	3.2

स्रोतः पीएलएफएस, एमओएसपीआई

यह आंकड़े दर्शाते हैं पिछले कुछ वर्षों देश में साथ ही साथ ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर में गिरावट की प्रवृत्ति है।

वर्ष 2020-21 से वर्ष 2022-23 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार अनुमानित ग्रामीण बेरोजगारी दर (यूआर) **अनुबंध** में दी गई है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में, रोजगार का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

ढांचागत और उत्पादक क्षमता में निवेश से, विकास और रोजगार पर बड़ा गुणक प्रभाव पड़ता है। वर्ष 2023-24 के बजट में, पूंजी निवेश परिव्यय को लगातार तीसरे वर्ष, 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत होगा। विकास क्षमता और रोजगार सृजन बढ़ाने के लिए हाल के वर्षों में की गई यह पर्याप्त वृद्धि, सरकार के प्रयासों के केंद्र में है।

सरकार विभिन्न केंद्र प्रायोजित एवं केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के माध्यम से कृषि क्षेत्र के विकास एवं प्रगति के लिए सहायता प्रदान करती है तथा उसको सुगम बनाती है। समस्त योजनाएं किसानों को लाभान्वित करने एवं कृषि आधारित रोजगार के संवर्द्धन द्वारा उनके आजीविका के अवसरों को बढ़ाने हेतु लक्षित हैं।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में स्टार्ट-अप को बढ़ावा देकर रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-कृषि और संबंद्ध क्षेत्र के कायाकल्प हेतु लाभकारी दृष्टिकोण (आरकेवीवाई-आरएएफटीएएआर) के तहत, नवाचार और कृषि-उद्यमिता घटक नामक एक नया घटक आरंभ किया है। सरकार, लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ (एसएफएसी) के माध्यम से उद्यम पूंजी सहायता (वीसीए) योजना के माध्यम से कृषि-आधारित व्यवसाय को भी बढ़ावा दे रही है।

भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार द्वारा सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। इस पैकेज में, देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगारों के सृजन तथा कोविड-19 महामारी के दौरान समाप्त हुए रोजगारों के पुनः सृजन हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 थी। इस योजना के आरंभ से, दिनांक 23.09.2023 तक, योजना के तहत 60.47 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

सरकार दिनांक 01 जून, 2020 से प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि योजना) का कार्यान्वयन कर रही है ताकि कोविड-19 महामारी के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडरों को, उनके व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा मिल सके। इस योजना के तहत दिनांक 23.11.2023 तक, 78.08 लाख ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं।

सरकार द्वारा स्व-रोजगार को सरल बनाने के लिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत, सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को, अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने तथा इसमें और अधिक विस्तार करने में उन्हें समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत, दिनांक 17.11.2023 तक 44.41 करोड़ से अधिक ऋण खाते स्वीकृत किए गए हैं।

सरकार द्वारा, वर्ष 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इन पीएलआई योजनाओं से 60 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना है।

पीएम गतिशक्ति, आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी पहल है। यह पहल सात घटकों नामतः सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और लाजिस्टिक बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित हैं। यह पहल, स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के अत्यधिक अवसर पैदा होंगें।

भारत सरकार, पर्याप्त निवेश और सार्वजनिक व्यय वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और जिसमें रोजगार सृजन हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), और दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाएं शामिल हैं। सरकार ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) के माध्यम से उद्यमिता विकास के लिए ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास हेतु एक कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है।

इसके साथ-साथ, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) युवाओं की नियोजनीयता बढ़ाने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस), प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस), का कार्यान्वयन कर रहा है।

इन प्रयासों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, सब के लिए आवास जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशिप कार्यक्रम आदि भी रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए ही है।

सामूहिक रूप से इन सभी पहलों के गुणक-प्रभावों से, मध्यम से दीर्घावधि में रोजगार सृजित होने की आशा है।

*****

अनुबंध

राज्य सभा के दिनांक 21.12.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2159 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2020-21 से वर्ष 2022-23 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार अनुमानित ग्रामीण महिला बेरोजगारी दर (यूआर) (% में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-21	2021-22	2022-23
1	आंध्र प्रदेश	1.4	2.5	3.0
2	अरुणाचल प्रदेश	8.3	7.9	3.1
3	असम	5.7	3.5	2.7
4	बिहार	1.9	1.8	1.1
5	छत्तीसगढ	0.7	0.8	0.9
6	दिल्ली	1.1	0.0	0.0
7	गोवा	15.6	19.0	17.7
8	गुजरात	0.3	0.7	0.6
9	हरियाणा	3.2	8.8	3.0
10	हिमाचल प्रदेश	2.1	2.6	3.8
11	झारखंड	0.1	0.1	0.1
12	कर्नाटक	2.0	1.1	1.3
13	केरल	13.4	12.4	9.2
14	मध्य प्रदेश	0.3	0.3	0.5
15	महाराष्ट्र	0.9	1.7	0.7
16	मणिपुर	3.8	14.4	4.9
17	मेघालय	0.5	2.4	6.7
18	मिजोरम	3.2	6.1	1.5
19	नागालैंड	16.1	7.3	2.0
20	ओडिशा	2.4	3.0	2.0
21	पंजाब	7.6	8.9	8.7
22	राजस्थान	0.9	0.9	1.7
23	सिक्किम	0.4	1.9	3.1
24	तमिलनाडु	3.8	3.1	3.7
25	तेलंगाना	2.2	3.0	2.1
26	त्रिपुरा	2.3	4.5	0.6
27	उत्तराखंड	3.3	2.8	3.5
28	उत्तर प्रदेश	1.5	1.0	0.9
29	पश्चिम बंगाल	1.7	1.3	1.1
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	15.3	10.3	13.9
31	चंडीगढ़	4.8	1.0	10.7
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0.0	5.1	6.0
33	जम्मू एवं कश्मीर	5.5	5.8	4.7
34	लद्दाख	4.1	0.6	5.4
35	लक्षद्वीप	13.3	11.2	20.9
36	पुडुचेरी	9.4	2.7	4.7
अखिल भारत		**2.1**	**2.1**	**1.8**

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई